



**INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH
AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG**
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों का अध्ययन

डॉ. पी. पी. गोस्वामी
प्रोफेसर

शिक्षा विभाग
भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

शोधार्थी
चन्द्रशेखर महावर

अध्यापक शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है कि अग्रिम प्रजन्मों को ज्ञान एवं मूल्यों के हस्तान्तरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में वे सक्षम हो सके तथा उनमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता तथा नवाचारिकता के साथ सांस्कृतिक उद्दीपना एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना सम्भव हो सके। शिक्षण को एक वृत्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा वह आयोजन हो जिसमें इस उद्यमगत नीति बोध एवं संवेगात्मक पक्ष में भी दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था हो।

इस प्रकार अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन या आयोजन है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक एवं परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा, अध्यापकों के लिए शिक्षा आयोजन है।

अध्यापक शिक्षा कुशल एवं दक्ष अध्यापक की तैयारी के लिए व्यवस्थित की जाती है। एक उत्तम अध्यापक के लिए एक ओर जहाँ निरन्तर अधिगमकर्ता बने रहने की आवश्यकता होती है वहीं एक उत्तम नागरिक को समाजोपयोगी व्यक्तित्व विषय के अभिज्ञ और दक्ष सम्प्रेषक भी होने की जरूरत होती है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के प्रतिवेदन में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कहा गया कि उनका निर्धारण करते समय सही अध्यापक के निर्माण पर बल दिया जाय। एक सही अध्यापक वह होता है जिसे अपने कार्य लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट जागरूकता हो वह न केवल अपने विषय का प्रेमी हो बल्कि उसके लिए वे भी प्रिय हो जिन्हें वह पढ़ाता हो। उसकी सफलता का आकलन न केवल उतीर्ण प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है और न केवल ज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण योगदान के परिमाण से ही करना उपयुक्त हो सकता है बल्कि समान रूप से उनके द्वारा पढाये गये छात्रों के जीवन की गुणवत्ता और उनके चरित्र के आधार पर भी किया जा सकता है।

'अध्यापक' शब्द जैसे ही दिमाग में आता है, अमूमन पहला विचार आता है वह शख्स जो बच्चों को पढ़ाता है परन्तु जब हम इस शब्द के सही मायने ढूँढने का प्रयास करते हैं और इस तथ्य को विस्तार मिलता है और सार निकलता है वह व्यक्ति जो जिन्दगी बनाता है।

"The task of the modern educator is not to cut down jungles but to irrigate deserts." (C.S. Lueis)

वास्तव में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की धुरी है। शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी प्रमुख भूमिका रही है। शिक्षक समाज का वह अग्रदूत है जिसका उद्देश्य है कि वह सरकारी नीतियों व सामाजिक जनमत तैयार करें। उद्योगमुख भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका बदल गई है अब वह नये समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला अग्रदूत है। शिक्षक ही समाज में नई चेतना का शंख फूंक सकता है और समाज में व्यास सकीर्णताओं, अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा विघटनकारी शक्तियों का निर्मूलन कर नये समाज का निर्माण कर सकता है।

शिक्षक शिक्षा जगत का महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ होता है एक कहावत है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाये नहीं जाते। प्रशिक्षण में शिक्षक इस कौशल हेतु गुणात्मकता का विकास करता है। शिक्षा में गुणात्मक एवं स्तरीय विकास का उत्तरदायित्व शिक्षक के कंधों पर ही सर्वाधिक होता है।

अध्यापक शिक्षा को कई स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है जिसमें एन.टी. टी.,एस.टी.सी.,बी.एड है। प्रारम्भिक स्तर को परिषद के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8) को सम्मिलित करते हुए संरचित किया गया और इन दोनों ही स्तरों के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उद्देश्य पाठ्यक्रम आदि को प्रारम्भिक स्तर के लिए उपयोगी माना गया। 14-15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को इस स्तर में रखा गया। अतः प्राथमिक स्तर के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट उद्देश्य पाठ्यक्रम आदि के साथ माध्यमिक स्तर के संदर्भ में भी चर्चा करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। प्रस्तावित शोध में शोधार्थी का उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम से है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मई 1973 ई. में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई की स्थापना की गई। यह परिषद अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में केन्द्र सरकारों को परामर्श प्रदान करती है तथा योजनाओं की समीक्षा व मूल्यांकन करती है जिससे अध्यापक शिक्षा का स्तर उठ सके।

इस परिषद को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है परन्तु केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्यों को अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु अनुदान देने का अधिकार प्राप्त है। इस परिषद की संस्तुति पर ही उपरोक्त केन्द्रीय साधनों से आर्थिक सहायता दी जाती है।

परिषद के मुख्य कार्य

1. केन्द्रीय तथा राज्य, प्राथमिक तथा महाविद्यालय स्तर सभी स्तरों की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण तथा उनके विकास एवं सुधार हेतु साधनों का सुझाव।
2. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में समन्वय स्थापित करना जिससे उनके संचालन विकास हेतु अनुदान क्रियाओं का समुचित सदुपयोग किया जा सके।
3. केन्द्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को प्रस्तुत करना।
4. पाठ्यक्रम, स्टाफ, साधनों, सुविधाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर का निर्धारण।
5. अन्तर्राज्यीय स्तरों के लिए निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना तथा नये विकास एवं प्रसार का अवलोकन।
6. अध्यापक शिक्षा के स्तर को विकसित करने हेतु एक टीम द्वारा अनुदान की व्यवस्था।
7. राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के स्तर के शैक्षिक शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
8. सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु योजनायें तैयार करना तथा अन्तर्राज्यीय स्तर पर उनका सम्पादन।
9. समय समय पर राज्य परिषदों से विचार विमर्श।
10. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाए रखना।

परिषद के शैक्षिक कार्यक्रम

1. व्यवसाय आचरण संहिता - नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत अध्यापकों के लिए आचरण संहिता के विकास हेतु कार्यशाला की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय सम्मेलन में आचरण संहिता पर विचार विमर्श हुआ तथा इस परिषद में गम्भीरता से विचार किया।
2. अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्णरूप से बदलने का सुझाव दिया गया। इस परिषद ने सन् 1976 में अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। इसने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के लिए 'एप्रोच पेपर' प्रस्तुत किया था।
3. अध्यापकों की सामाजिक तथा व्यावसायिक भूमिका - अध्यापकों की भूमिका हेतु मद्रास में सन् 1987 में एक कार्यशाला की व्यवस्था दी गई।

इसी प्रकरण पर कश्मीर में एक सेमीनार हुआ जिसमें अध्यापकों के उत्तरदायित्वों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस प्रकरण को महत्व दिया।

प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रम

- s अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम
- s अध्यापक शिक्षा का चार वर्षीय कार्यक्रम
- s अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन
- s प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का विकास करना
- s अध्यापक शिक्षा का प्रवेश हेतु मानदण्ड विकसित करना।
- s अध्यापक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन।

माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा

अध्यापक शिक्षा विभिन्न स्तरों पर प्रदान किये जाने का प्रावधान है किन्तु माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा बी.एड. कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों को शिक्षा देने वाले कॉलेज ही माध्यमिक अध्यापकों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से कार्य करते हैं। उनमें परीक्षाओं का लेना डिग्री प्रदान करना तथा माध्यमिक अध्यापकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आदि पक्ष शामिल होते हैं।

समस्या कथन

“बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों का अध्ययन”

समस्या का औचित्य

माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा की बदलती अवधारणाओं व आ रहे परिवर्तनों के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन किया जाना है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा पर कार्य हुआ है परन्तु निजी डीम्ड व राजकीय तीनों स्तर के विश्वविद्यालयों से संबंधित एक साथ शोध कार्य न्यून है। जिसमें तीनों प्रकार के विश्वविद्यालयों के बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों का अध्ययन किया गया हो, अतः शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत विषय का शोध कार्य हेतु चयन किया गया है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

1. बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
2. बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों का अध्ययन करना।

प्रस्तावित शोध की परिकल्पनायें

संक्रियात्मक परिकल्पना

1. बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का स्तर औसत है।
2. बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्व सार्थक है। ।

जनसंख्या

प्रस्तावित शोध में राजस्थान के म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रशिक्षुओं को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तावित शोध में शोधकर्ता द्वारा सुविधानुसार म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को बी.एड. कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।

विश्वविद्यालय	महाविद्यालय	प्रशिक्षु	प्रशिक्षक
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर	10	500	50

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध में निम्न उपकरण प्रयोग किये गये

1. साक्षात्कार (स्वनिर्मित)

शोध में प्रयुक्त शोध विधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

शोध में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या:-

(1) बी.एड. कार्यक्रम - बी.एड. में संचालित कार्यक्रम से तात्पर्य सैद्धान्तिक (अनिवार्य प्रश्न पत्र, वैकल्पिक प्रश्न पत्र), शिक्षणाभ्यास एवं प्रायोगिक कार्य से है।

2. प्रशिक्षु - प्रशिक्षु से अभिप्राय सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा में बी.एड. के विद्यार्थियों से है।

शोध का परिसीमन

समस्या का स्वरूप स्वयं में साधारणतः व्यापक होता है अतः समस्या का व्यवहारिक रूप में अध्ययन करने के लिये उसके लिये सीमांकन आवश्यक होता है।

1. प्रस्तावित शोध में राजस्थान राज्य के निजी, डीम्ड व राजकीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया जायेगा।
2. प्रस्तावित शोध में सह-शैक्षिक, समलिंगीय दोनों प्रकार के बी.एड विश्वविद्यालयों को शामिल किया जायेगा।
3. राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का चयन किया जायेगा।
4. प्रस्तावित शोध में मात्र बी.एड को अध्ययन कराने वाले प्रशिक्षकों को शामिल किया जायेगा।

प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तावित शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा टी परीक्षण का सांख्यिकी के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

शोध निष्कर्ष

बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों का अध्ययन करने के लिए समस्त न्यादर्श बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों एवं बी.एड. प्रशिक्षकों से बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें उनसे प्राप्त बाधक तत्वों का विश्लेषण कर निम्न बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई:-

- s शैक्षिक संपर्क की कमी
- s अनुमति का अभाव
- s पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की कमी
- s प्रबंधन या संस्था के समर्थन की कमी
- s व्यवसायिक विकास कार्यक्रम के लिए सीटों का सीमित होना
- s समय की कमी

- s आईसीटी कौशल की कमी
- s व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी
- s रुचि में कमी
- s स्वयं आत्म मूल्यांकन की कमी
- s आरामदायक काम के माहौल की कमी
- s प्रधान अध्यापक/भट्ठके समर्थन की कमी
- s भारी शिक्षण भार
- s व्यवसायिक विकास कार्यक्रम का वर्क शेड्यूल से टकराव
- s किसी उचित विकास व्यवसायिक विकास कार्यक्रम की पेशकश नहीं की जाती है ।

